

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 09/2022

प्रार्थीगण –

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. दमाराम पुत्र रामचन्द
2. जगदीश पुत्र मेघाराम
3. धर्मेन्द्र पुत्र मेघाराम
4. हड़मान पुत्र मेघाराम  
जातियान ब्राह्मण निवासीयान  
बायतु चिमनजी पंचायत समिति  
बायतु जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु  
चिमनजी
2. गणपत पुत्र छोगाराम जाति  
ब्राह्मण निवासी बायतु चिमनजी  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा सं. 4 दिनांक 05.10.2021 जिसके  
तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा  
जारी किया गया।



पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 10/2022

प्रार्थीगण –

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. दमाराम पुत्र रामचन्द
2. जगदीश पुत्र मेघाराम
3. धर्मेन्द्र पुत्र मेघाराम
4. हड़मान पुत्र मेघाराम  
जातियान ब्राह्मण निवासीयान  
बायतु चिमनजी पंचायत समिति  
बायतु जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु  
चिमनजी
2. गीतादेवी पत्नी छोगाराम  
जाति ब्राह्मण निवासी बायतु  
चिमनजी तहसील बायतु  
जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा सं. 3 दिनांक 05.10.2021 जिसके  
तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा  
जारी किया गया।



अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी/09/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/10/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/11/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/12/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 11/2022

प्रार्थीगण –

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. दमाराम पुत्र रामचन्द
2. जगदीश पुत्र मेघाराम
3. धर्मेन्द्र पुत्र मेघाराम
4. हड़मान पुत्र मेघाराम जातियान  
ब्राह्मण निवासीयान बायतु  
चिमनजी पंचायत समिति बायतु  
जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु  
चिमनजी
2. भागीरथ पुत्र छोगाराम जाति  
ब्राह्मण निवासी बायतु  
चिमनजी तहसील बायतु  
जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा सं. 1 दिनांक 05.10.2021 जिसके  
तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा  
जारी किया गया।



पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 12/2022

प्रार्थीगण –

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. दमाराम पुत्र रामचन्द
2. जगदीश पुत्र मेघाराम
3. धर्मेन्द्र पुत्र मेघाराम
4. हड़मान पुत्र मेघाराम  
जातियान ब्राह्मण निवासीयान  
बायतु चिमनजी पंचायत समिति  
बायतु जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु  
चिमनजी
2. महेन्द्र पुत्र छोगाराम जाति  
ब्राह्मण निवासी बायतु  
चिमनजी तहसील बायतु  
जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा सं. 2 दिनांक 05.10.2021 जिसके  
तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा  
जारी किया गया।

  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी/09/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/10/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/11/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/12/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य

उपस्थिति :- उक्त चारों ही निगरानी प्रार्थना-पत्रों में-


1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

### निर्णय

दिनांक : 29.08.2022

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त चारों ही निगरानी प्रार्थना-पत्रों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से चारों ही निगरानी प्रार्थना-पत्रों का एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।
2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम बायतु चिमनजी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 1, 2, 3 एवं 4 दिनांक 05.10.2021 जारी किये गये। इन पट्टा विलेखों को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त चार अलग-अलग निगरानी प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।
3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड ग्राम बायतु चिमनजी की आबादी भूमि के खसरा नंबर 514 मूल रकबा 1.2944 हेक्टेयर में आये हुए हैं एवं राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। आलौच्य भूखण्ड के अपने 1/2



  
अपर कलेक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी/09/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/10/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/11/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/12/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य

हिस्से पर निगरानीकर्तागण का विगत 50 वर्षों से शांतिपूर्वक एवं निर्बाध स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थीगण अपने पुराने कब्जाशुदा उक्त भूखण्ड पर मकान बनाकर सपरिवार रह रहे हैं। निगरानीकर्तागण की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत व उच्चाधिकारियों को कई मर्तबा उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी की आबादी भूमि में जारी करने का निवेदन भी किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर अभी तक पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। उक्त भूखण्ड पर लगभग 7 माह पूर्व निगरानीकर्तागण के स्वामित्व व आधिपत्य के पैतृक भूखण्ड के चार टुकड़े कर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसके भाई तथा माता के पक्ष में पट्टा सं. 1 से 4 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त चारों ही निगरानी प्रार्थना-पत्रों में आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत नियमों की कोई पालना नहीं की गई है तथा न ही उक्त भूखण्ड के हितबद्ध हिस्सेदार व कब्जाधारी निगरानीकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिया गया है।

5. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि करीबन 1 माह पूर्व जब अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसके परिजनों द्वारा निगरानीकर्तागण को उक्त आलौच्य पट्टे के आधार पर जबरन अतिक्रमण एवं निर्माण कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा होकर धमकियां दी तब प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत से आलौच्य पट्टे की प्रमाणित प्रतियां मांगी। विवादित भूखण्ड से संबंधित प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर ही प्रार्थीगण को आलौच्य पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 157(ख) के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत उक्त पट्टे जारी किये गये हैं जबकि राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम



अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी / 09 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 10 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 11 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 12 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य

के प्रावधानों के विपरीत बिना कोई शुल्क वसूले आलौच्य पट्टे अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टे की मिसल की जो पत्रावली कायम कर कार्यवाही की गई है एवं ग्राम पंचायत की आम सभा में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का जो प्रस्ताव लिया गया है वह अप्रार्थी संख्या 2 को लाभ पहुंचाने के आशय से लिया गया है जबकि पट्टा पत्रावली में कहीं भी किसी भी सक्षम प्राधिकारी की मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है। ग्राम पंचायत कार्यालय में कायम की गई पट्टा पत्रावली में पट्टा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन, निरीक्षण, आपत्तियां आमंत्रित करने की उद्घोषणा व आम सभा की बैठक संबंधी कार्यवाही इत्यादि का भी कोई उल्लेख नहीं है। आलौच्य पट्टे बाबत जो भी कार्यवाही की गई है वह अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कार्यालय में ही बैठे-बैठे एक ही दिन में सम्पूर्ण आदेशिकाएं लिख कर आनन-फानन तरीके से की गई है। उक्त कार्यवाही में किसी भी वार्ड पंच के हस्ताक्षर व सहमति नहीं हैं तथा न ही ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सेवक की कोई सहमति अथवा हस्ताक्षर हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलौच्य मूल पट्टे पर भी ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर व सर्वसम्मति अंकित नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में वर्णित नाप एवं पड़ौस की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कदीमी आधिपत्य दर्शाया गया है जबकि वास्तविक स्थिति अनुरूप आलौच्य पट्टे में वर्णित भूमि पर न तो तत्समय और न ही पट्टा जारी होने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 का आधिपत्य एवं वर्णित पड़ौस है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह चारों ही निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा जारी किये गये आलौच्य चारों पट्टे दिनांक 05.10.2021 निरस्त किये जावें।

6. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी की आबादी भूमि में आए हुए हैं। उक्त भूखण्डों पर अप्रार्थीगण का पुराना निरन्तर एवं




अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी/09/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/10/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/11/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी/12/2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य

निर्बाध कब्जा होने से अप्रार्थीगण द्वारा इन भूखण्डों के पट्टे प्राप्त करने हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों को दर्ज कर मौका कमेटी द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया जिसमें अप्रार्थीगण का कब्जा होने एवं पडौंसियान द्वारा कब्जे की ताईद की जाने पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस पर अन्दर मयाद किसी प्रकार का कोई उजर/ऐतराज पेश नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आलौच्य पट्टे जारी करने का सर्वसम्मति से पंचायत बैठक में निर्णय लिया गया। वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्तागण का कभी कब्जा नहीं रहा है और न ही इस पर इनका कोई स्वामित्व-हित निहित है। निगरानीकर्तागण अन्य ग्राम पंचायत के निवासी हैं जिनका अप्रार्थीगण के उक्त भूखण्ड से कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक निगरानीकर्तागण का आक्षेप है कि आलौच्य पट्टा विलेख एक ही परिवार के सदस्यों के नाम जारी हुए हैं तो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई अवबाधा नहीं है। अप्रार्थीगण सभी अलग-अलग पारिवारिक ईकाई हैं जिनके पृथक-पृथक राशनकार्ड बने हुए हैं एवं निवास भी अलग-अलग हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के निवास एवं कब्जे की सम्पूर्ण जांच करते हुए नियमानुसार पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के समस्त प्रावधानों की पालना करते हुए आलौच्य पट्टा विलेख विधिपूर्वक जारी किये गये हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चारों निगरानी प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाये जावें।

7. हमने चारों पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, के स्वामित्व एवं आधिपत्य




  
अपर कलेक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी / 09 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 10 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 11 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 12 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य

के भूखण्ड ग्राम बायतु चिमनजी की आबादी भूमि के खसरा नंबर 514 मूल रकबा 1.2944 हेक्टेयर में आये हुए हैं। आलौच्य भूखण्ड के अपने 1/2 हिस्से पर निगरानीकर्तागण का विगत 50 वर्षों से शांतिपूर्वक एवं निर्बाध स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थीगण अपने पुराने कब्जाशुदा उक्त भूखण्ड पर मकान बनाकर सपरिवार रह रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने इस पुराने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने की पत्रावली में मौके पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना अभिलिखित है। इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि निगरानीकर्तागण ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी में निवासरत भी नहीं हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आलौच्य पट्टे जारी करने की प्रक्रिया एवं विधिक बाध्यता के संबंध में प्रकट किया है कि आलौच्य चारों पट्टे एक की परिवार के सदस्यों को जारी किये गये हैं जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज अनुसार अप्रार्थीगण के अलग-अलग राशनकार्ड बने हुए हैं तथा उनका अलग-अलग पारिवारिक ईकाई के रूप में आबादी भूमि पर कब्जा ग्राम पंचायत की मौका कमेटी द्वारा पाया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों में ऐसी कोई विधिक बाध्यता होना भी अधिवक्ता निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक अधिवक्ता निगरानीकर्तागण का अभिकथन है कि निगरानीकर्तागण एवं अप्रार्थी संख्या 2 स्वर्गीय खींयाराम के वंशज होने एवं विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से उसमें निगरानीकर्तागण का भी हक-हिस्सा है तो इस हेतु निगरानीकर्तागण को सक्षम न्यायालय में ही वाद पेश कर अनुतोष हेतु चाराजोही कर सकते हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरणों में आलौच्य पट्टे जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अतः उपर्युक्त



  
अपर कलेक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)


पंचायत निगरानी / 09 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 10 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 11 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य  
पंचायत निगरानी / 12 / 2022 दमाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी व अन्य

ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त चारों ही निगरानी प्रार्थना-पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह चारों ही निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( उम्मेद सिंह रतनू )  
अपर जिला कलक्टर,  
बाड़मेर  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)